

**विन्दु संख्या-10 अधिकारी एवं कर्मिकों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति-** वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में निर्गत शासनादेश संख्या- प0म0नि0 357 दस-21(एम)/97, दिनांक 31.12.97 द्वारा पदवार/संवर्गवार अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राविधानित वेतनमान के अनुसार मासिक पारिश्रमिक के रूप में वेतन दिया जाता है तथा इसका निर्धारण वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-द्वितीय भाग 2 से 4 के नियमों अनुसार किया जाता है ।